एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 06 (नवम्बर-दिसम्बर, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

एकीकृत बागवानी विकास मिशन: कृषि में सुनहरी क्रांति

(*संजू मीणा)
विद्यावाचस्पति छात्रा, कृषि प्रसार और संचार, कृषि महाविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान-334006
*संवादी लेखक का ईमेल पता: sanjumeena.coa@gmail.com

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है साथ ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण भी है। भारत की आजादी के बाद से यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में आवश्यक रूप से विकसित होने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग इस पर निर्भर हैं व उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। सभी कृषि क्षेत्रों में, ग्रामीण आबादी के लिए बागवानी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बागवानी फसलों की वृद्धि भारत में कृषि के समग्र विकास के लिए प्रेरक शक्तियों में से एक बन गई है। बागवानी क्षेत्र में, फलों की खेती ग्रामीण लोगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और फलों की खेती मानव जाति के साथ-साथ राष्ट्र की समग्र स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। देश के क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला एक उपयोगी व्यवसाय है। फलों की खेती से किसानों को कई लाभ जैसे- उच्च आगत, कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रुप मे उपयोग, लाभ आय सृजन, फलों की फसलों के उत्पादन में बंजर भूमि का उपयोग और पोषण संबंधी लाभ और कई अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। बड़े आकार की भूमि की उपलब्धता भारत में फलों की खेती के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है, लेकिन भारत केवल 2.4 प्रतिशत भूमि क्षेत्र के साथ पूरे विश्व की लगभग 17 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण कर पाता है। वैश्विक स्तर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम धीरे-धीरे वैश्विक खाद्य संकट की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फलों की आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने के कारण व विशाल जनसंख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन की वर्ष 2005-06 में शुरुआत कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।। वर्तमान समय सन 2015 में इस योजना का नाम बदल कर **"एकीकृत बागवानी विकास मिशन"** कर दिया गया। सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 85% केंद्र सरकार द्वारा और 15% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे- हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू की गई। एकीकृत बागवानी विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रचार-प्रसार करना, बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास और व क्षेत्रीय विभेदित रणनीतियों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाना, अनुसंधान, प्रचार-प्रसार करना, प्रौद्योगिकी संवर्धन, विस्तार और फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी की मदद से बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विभेदित रणनीतियों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाना, पोषण सुरक्षा और आय सहायता के साथ-साथ कुशल और

अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन में सुधार करने में मदद करना है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत अमरूद, अंगूर, पपीता, आम, केला, नींबू, बेर, अनार, अनानास, चीकू और कटहल, सब्जियां, जड़ और कंद वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, काजू और कोको आदि उगाये जाते हैं।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन का महत्व

बागवानी क्षेत्र को अभी भी फसल कटाई के बाद उच्च नुकसान और फसल कटाई के बाद प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में अंतराल के मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा उत्पादकता को बढ़ा कर की जबरदस्त वर्ष 2050 तक देश की 650 मिलियन मीट्रिक टन फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग को पूरा करने का उद्देश्य है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा रोपण सामग्री उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एग्री इंफ्रा फंड के माध्यम से ऋण प्रोत्साहन, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और प्रचार जैसी कुछ नई पहलें पर इस दिशा में काम किया जा रहा हैं। इसे हरित क्रांति में कृष्णोन्नति योजना के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा बागवानी क्षेत्र में चौमुखी विकास को बढ़ावा दिया जाता हैं जिसमें बांस और नारियल भी शामिल है। इसमें क्षेत्र की जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग-अलग कार्यनीति जैसे- अनुसंधान, तकनीक को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन आदि अपनाई जाती हैं।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के उद्देश्य

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन बागवानी क्षेत्र में उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले गया है। यह देश को उसके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, जिसमें शून्य भूख, उचित पोषण, स्वास्थ्य और कल्याण, गरीबी में कमी, लैंगिक समानता आदि शामिल हैं।
2. राज्य में उपलब्ध अधिकतम क्षमता तक बागवानी का विकास करना
3. राज्य में सभी बागवानी उत्पादों (फल, सब्जियां, फूल, कोको, काजू, वृक्षारोपण फसलें, मसाले, औषधीय सुगंधित पौधे) का उत्पादन बढ़ाना है।
4. एकीकृत बागवानी विकास मिशन भारतीय बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास के लिए एक योजना है।
5. बागवानी खंड में सुधार की रणनीतियों में प्रौद्योगिकी प्रचार, अनुसंधान, फसल के बाद प्रबंधन, विस्तार, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं।
6. यह योजना क्षेत्र की कृषि-जलवायु विशेषताओं के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए विभेदित रणनीतियों का उपयोग करने पर जोर देती है।
7. किसानों को एफआईजी/एफपीओ और एफपीसी जैसे किसान समूहों में एकत्र करना।
8. पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हासिल करना, बागवानी उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना, पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देंना, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जर्म-प्लाज्म, रोपण सामग्री और जल उपयोग दक्षता के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना।
9. कौशल विकास का समर्थन करें
10. बागवानी, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चेन क्षेत्र में भी ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना।
11. कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राज्यों में बागवानी विभाग वाले संस्थानों के माध्यम से उन्नत तकनीक अपनाने के लिए किसानों में क्षमता निर्माण करना।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन की उप-योजनाएँ

1. **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)**: यह राज्य बागवानी मिशनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है।
2. **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी):** यह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर एमआईडीएच के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।
3. **उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH):** इसे पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के राज्य बागवानी मिशनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
4. **नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी):** यह देश के सभी नारियल उगाने वाले राज्यों में एमआईडीएच की योजनाओं को लागू करता है।
5. **केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नागालैंड:** उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किसानों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी बैकस्टॉपिंग प्रदान करने के लिए 2006-07 में मेडिज़िपेहिमा, नागालैंड में संस्थान की स्थापना की गई थी।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन की गतिविधियाँ

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कुछ गतिविधियाँ जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वे इस प्रकार हैं:

1. गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरी, टिशू कल्चर इकाइयों की स्थापना करना।
2. क्षेत्र विस्तार अर्थात फूलों, सब्जियों और पुष्पों के लिए नये बाग-बगीचे स्थापित करना और अनुत्पादक और पुराने बगीचों का कायाकल्प करना।
3. उत्पादकता को बेहतर करने और ऑफ-सीजन उच्च मूल्य वाली सब्जियां और फूल उगाने के लिए संरक्षित खेती, अर्थात पॉली-हाउस और ग्रीन-हाउस इत्यादि का निर्माण करना।
4. जैविक खेती और प्रमाणीकरण।
5. जल संसाधन संरचनाओं का निर्माण और वाटरशेड प्रबंधन।
6. परागण के लिए मधुमक्खी पालन।
7. बागवानी यंत्रीकरण।
8. फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन बुनियादी ढांचे का निर्माण।

सारांश

हमारा कृषि, बागवानी क्षेत्र में फसल कटाई के बाद प्रबंधन सही न होने के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। परंतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन ने भविष्य के लिए बागबानी क्षेत्र में एक आशा की किरण के रुप में कार्य किया है। इस योजना ने भारतीय बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की संभावनाएँ काफी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जो वर्ष 2050 तक देश के 650 मिलियन मीट्रिक टन फलों की अनुमानित मांग को पूरा करेगी। इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों में सामग्री उत्पादन की रोपाई पर ध्यान केंद्रित करना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से ऋण मुहैया कराना, किसान उत्पादक संगठन के गठन और विकास आदि शामिल हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए किसानों को अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। किसानो को इस योजना से जोड़ने के लिए व और अधिक सफल बनाने के लिए किसान मेले व किसान संगोष्ठि आदि का आयोजन होना चाहिए ताकि इससे वैश्विक स्तर पर और अधिक सफल बनाया जा सके।